दिनांक 12.07.2017

स्वच्छ भारत अभियान **स्वच्छ एवं सुदर भिलाई**

जप्ती के साथ प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग बेचने वाले विक्रेता को पकड़कर भट्ठी थाने के हवाले

भिलाईनगर/ छ0ग0 शासन के नगरीय प्रशासन विकास विभाग के तहत् प्रकाशित छ0ग0 राजपत्र के आदेश क्रमांक 643 दिनांक 24 दिसम्बर 2014 के अनुसार 01 जनवरी 2015 से छ0ग0 राज्य में कोई उद्योग प्लास्टिक कैरीगैग का उत्पादन नहीं करेगा और कोई व्यक्ति, दुकानदार, विक्रेता, थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता बेंचता है या सामान रखकर देता है उसपर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना है।

निगम भिलाई द्वासरा समय–समय पर बेचने वालों पर कार्यवाही की जाती रही है। आयुक्त के0एल0 चौहान के आदेश पर नगर पालिक निगम भिलाई एवं भिलाई इस्पात संयंत्र की संयुक्त कार्यवाही दल ने शहर में बेचे जा रहे प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग के उपर कार्यवाही करने के लिए आज सुबह 7 बजे चाईना मार्केट बोरिया गेट के सामने दबिश दी। ठेले, खोमचे, अस्थाई दुकान लगाकर बेचने वाले दुकानदारों से प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग जब्त किये। पुछने पर पता चला कि नमकीन मिक्चर बेचने वाला विकास साव केम्प 01 शास्त्री चौक निवासी रोज लाकर प्लास्टिक बेचता है। दल द्वारा दबाव पूर्वक छानबीन करने पर मिक्चर पैकेट के नीचे 37 किलो से अधिक प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग मिला, उसने स्वीकार किया कि, जानकारी होने के बाद भी मैं विगत् 02 वर्ष से लाकर बेचता हुं मेरी हर जगह पहुंच है, सबको पता है मैं क्या करता हुं।

नगर निगम अधिनियम के तहत् प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग बेचने और गंदगी फैलाने के कारण 5 हजार रुपये की स्वच्छ भारत अभियान के तहत् चालानी कार्यवाही कर रसीद दिया गया। जप्ती सामान व विजय साव को लेकर निगम व बी.एस.पी. के अधिकारी भट्ठी थाना पहुंचे जहां पर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु सुपुर्द किया गया यह पता करने के लिए कि प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग कहॉ से खरीदकर लाता है थोक विक्रेता कौन है जिससे वह बेचता है। लिखित सूचना भट्ठी थाना प्रभारी को तहकीकात करने के लिए दिया गया।

संयुक्त कार्यवाही दल के सभी सदस्यों को भी नहीं पता था कि कार्यवाही कहॉ किया जाना है। पूर्व में जब भी कार्यवाही बेचने वाले को पता चल जाता था और वह भाग जाता था, बड़े ही गोपनीय ढ़ंग से कार्यवाही के लिए योजना बनीं इसमें भिलाई इस्पात संयंत्र से के0के0 यादव वरिष्ट प्रबंधक स्वास्थ्य विभाग, ए0के0 बंजारा सहायक प्रबंधक, जीवन लाल एच.आई., शंकर.,

हबीबुल्लाह ए.एच.आई., वाय.के. भोंडेकर असिसटेंट मेनेजर, गणेश जोनकर, सरत, वेंकटेश्वर स्वास्थ्य निरीक्षक, नगर निगम भिलाई से उड़नदस्ता दल से अजय शुक्ला, रामायण सिंह, शरद दुबे, पीलूराम उपस्थित रहें।

जनसम्पर्क अधिकारी